भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1145
गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता</u>

1145. श्री डी.एम. कथीर आनन्दः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में 50 मेगावाट अथवा 50 मेगावाट से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता वाले सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में 50 मेगावाट अथवा 50 मेगावाट से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता वाले सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार और आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड आदि जैसी विद्युत वित्त कंपनियों के माध्यम से कितना ऋण और राजसहायता प्रदान की गई है तथा इन संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 2030 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध है। विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है। वर्तमान में, पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(ख) तमिलनाडु में 50 मेगावाट या उससे अधिक के सौर और पवन विद्युत संयंत्रों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-**II (**क) और **II (**ख) में दिया गया है।

(ग) 50 मेगावाट या उससे अधिक की पवन और सौर परियोजनाओं की कुल क्षमता और पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए द्वारा स्वीकृत ऋण का सारांश नीचे दिया गया है। विवरण अनुलग्नक-**III** में दिया गया है।

कंपनी	क्षमता **(**मेगावाट**)**	ऋण राशि **(**करोड़ रु**)**
आर ई सी	1714	6456.22
पीएफसी	2473	10531
इरेडा	841.68	1860

(घ) तमिलनाडु सहित देश में विभिन्न अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से अक्षय ऊर्जा का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अनुलग्नक-**IV** में दिए गए हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-I

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में पात्र प्रोत्साहन
क) ग्रिड कनेक्टड रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	रूपटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता की स्थापना की व्यवस्था की गई है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए पहली 3 किलोवाट आरटीएस क्षमता के लिए 18000 रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक आरटीएस क्षमता के लिए के लिए 9000 रुपये प्रति किलोवाट सीएफए स्वीकार्य है। विशेष श्रेणी के राज्यों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र) के लिए, स्वीकार्य सीएफए प्रथम 3 किलोवाट आरटीएस क्षमता के लिए 20000 रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक आरटीएस क्षमता के लिए 10000 रुपये प्रति किलोवाट है। आवासीय कल्याण समिति/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) भी अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता तक साझा सुविधाओं के लिए आरटीएस स्थापना हेतु सीएफए का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। सामान्य श्रेणी के राज्यों में आरडब्ल्यूए/जीएचएस के लिए स्वीकार्य सीएफए 9000 रुपये प्रति किलोवाट और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10000 रुपये प्रति किलोवाट है। चरण-II के रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम का वित्तीय परिव्यय 11,814 करोड़ रुपये है जिसमें 6,600 करोड़ रुपये का सीएफए और वितरण कंपनियों को 4,985 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्यक्रम का विस्तार दिनांक 31.03.2026 तक किया गया है।
ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी संगठनों, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा, (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (अधिकतम विद्युत की क्षमता एवं ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि का प्रतिशत।
घ) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। अब संरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।

ङ) पीएम-कुसुम योजना	घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। घटक-ख: 14.00 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।

<u>अनुलग्नक-II (क)</u>

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II(क)

<u>तमिलनाडु में सौर विद्युत संयंत्रों (50 मेगावाट या अधिक) का विवरण</u>

क्र.सं.	डेवलपर का नाम	चालू की गई क्षमता (मेगावाट)
1	मैसर्स एनएलसी	200 (100 + 100)
2	मैसर्स एनएलसी	50
3	तमिलनाडु में विभिन्न 7 स्थानों पर मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड	709
4	मैसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड	100
5	मैसर्स एनवीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	100
6	मेसर्स नरभेराम विश्राम सोलर टीएन प्राइवेट लिमिटेड।	100
7	मैसर्स तिरुनवेली सोलर पावर	100
8	मेसर्स वॉटसन इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	55
9	प्रथमा सोलरकनेक्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	55
10	मेसर्स सॉलिटेयर बीटीएन सोलर पी लिमिटेड	100
11	जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	150 (50+50+50)
12	मेसर्स नेल्लई रिन्यूएबल्स	55
13	मेसर्स अवाडा क्लीन टीएन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड।	50
	कुल	1824.00

अनुलग्नक-**II** (ख)

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**(ख)

तमिलनाडु में पवन विद्युत परियोजनाओं (50 मेगावाट या अधिक) का विवरण

क्र.सं.	डेवलपर का नाम	चालू की गई (मेगावाट)
1	मित्राह एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	250
2	ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड	249.9
3	ग्रीनको सिरोंज विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	200
4	बेटाम विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	50.2
5	स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	300
6	बेटाम विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	168
7	जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में जेएसडब्ल्यू सोलर लिमिटेड)	51.3
8	जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड	232.2
कुल		1501.6

अनुलग्नक-**III** (क)

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**(क)

तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं	परियोजनाओं का नाम	क्षमता (मेगावाट)	ऋण राशि (करोड़ों में)	परियोजना की स्थिति
1	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 540 मेगावाट की पवन परियोजना	540	2564.73	प्रक्रियाधीन
2	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 270 मेगावाट की पवन परियोजना	270	647.00	प्रक्रियाधीन
3	विविड सोलायर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एन्जी ग्रुप) द्वारा तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 252 मेगावाट की पवन परियोजना।	252	975.00	चालू की गई
4	मित्राह ग्रुप द्वारा मनियाची, तुतुकुड़ी जिला, तमिलनाडु में 252 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना	252	520.00	ऋण प्रीपेड/चालू की गई
5	सॉलिटेयर बीटीएन सोलर प्राइवेट लिमिटेड (हिंदुस्तान पावर) द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना	100	365.69	चालू की गई
6	एक्टिस फंड द्वारा तिरपुर जिले, तमिलनाडु में 300 मेगावाट की पवन परियोजना	300	1383.80	ऋण प्रीपेड/चालू की गई
	कुल	1714		

<u>अनुलग्नक-III(ख)</u>

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III** (ख)

<u>दिनांक 31.12.2023 तक तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की पीएफसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची</u>

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	कुल स्वीकृति (करोड़ रुपये)	वर्तमान स्थिति
1	216 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा परियोजना का एजेटीएनएल वित्तपोषण-अडानी ग्रुप	216	350	चालू की गई
2	ऋण पुनर्वित्त - एगेल्टन, 216 मेगावाट, सौर ऊर्जा परियोजना	216	1079	चालू की गई
3	ढालिया: थूथुकुडी में 56 मेगावाट (डीसी) सौर और 26.4 मेगावाट पवन परियोजना	82	347	प्रक्रियाधीन
4	272.4 मेगावॉट हाइब्रिड (सौर: 153.6 मेगावॉट पीक, पवन: 118.8 मेगावॉट) ऊर्जा परियोजना, थूथुकुडी, तमिलनाडु	272	1185	प्रक्रियाधीन
5	49.50 मेगावाट पवन समूह कैप्टिव विद्युत परियोजना	50	350	प्रक्रियाधीन
6	270 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना (एसईसीआई -ट्रांश - Ix)	270	646	प्रक्रियाधीन
7	डेब्ट रिफाइन. कामुथी नवीकरणीय ऊर्जा 72 मेगावाट सौर परियोजना	72	367	चालू की गई
8	ऋण पुनर्वित्त - केएसपीएल, 216 मेगावाट सौर पीवी परियोजना	216	1101	चालू की गई
9	लैवेंडर: थूथुकुडी में 56 मेगावाट (डीसी) सौर और 26.4 मेगावाट पवन परियोजना	82	347	प्रक्रियाधीन
10	लीलैक: थूथुकुडी में 56 मेगावाट (डीसी) सौर और 26.4 मेगावाट पवन परियोजना	82	347	प्रक्रियाधीन
11	तमिलनाडु में मित्राह वायु मंजीरा 100.5 मेगावाट, जेएसडब्ल्यू अधिग्रहण	101	477	चालू की गई
12	तमिलनाडु में मित्राह वायु साबरमती 252 मेगावाट, जेएसडब्ल्यू अधिग्रहण	252	1524	चालू की गई
13	तमिलनाडु में 200 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना की स्थापना	200	942	चालू की गई
14	डेब्ट रिफाइन. रामनाद रिन्युएबल एनर्जी 72 मेगावाट सौर परियोजना	72	370	चालू की गई
15	डेब्ट रिफाइन. रामनाद सौर 72 मेगावाट बिजली परियोजना	72	388	चालू की गई
16	थूथुक्कुडी जिला तमिलनाडु में 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना।	100	344	चालू की गई
17	श्री कादेरी अंबल मिल्स (प्रा) लिमिटेड तमिलनाडु में 5.2 मेगावाट डीसी सौर परियोजना	5	13	प्रक्रियाधीन
18	पेरियार वैगई -1 और 2,3 और 4	13	205	चालू की गई
19	तिरुनवेली सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का ऋण पुनर्वित्त।	100	149	प्रक्रियाधीन
कुल		2473		

अनुलग्नक-**III** (ग)

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III** (ग)

दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.01.2024 तक तमिलनाडु राज्य में इरेडा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं	परियोजना का नाम	क्षमता	ऋण राशि (लाख रूपये)	स्थिति
1	स्प्रिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पवन)	300.00	38380.00	चालू की गई
2	बेटा विंड फार्म प्राइवेट लिमिटेड (पवन) विभिन्न राज्य (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात)	241.68	72611.00	चालू की गई
3	तिरुनवेली सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सौर)	100.00	14000.00	चालू की गई
4	नरभेराम सोलर टीएन प्राइवेट लिमिटेड (सोलर)	100.00	30900.00	चालू की गई
5	एनवीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (सौर)	100.00	22500.00 7600.00	चालू की गई
	कुल	841.68		

अनुलग्नक-**IV**

"नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1145 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**IV**

देश में अक्षय विद्युत को बढावा देने के लिए किए गए उपाय

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनुमोदित किया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अक्षय विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित करना। ट्रेजेक्ट्री के तहत, 50 गीगावाट प्रतिवर्ष की अक्षय ऊर्जा बोलियां जारी की जाएंगी।

*****